

प्रेस नोट दिनांक 01.10.2025 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दि0-01.10.2025,

थाना- कोतवाली नगर, जनपद- प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 01 अभियुक्त घायल/गिरफ्तार-

थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत करौंदी पुल के पास थाना कोतवाली नगर पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 01 अभियुक्त के दायें पैर में लगी गोली।

घायल अभियुक्त, प्रेम कुमार उर्फ हितेश पुत्र राजकुमार को ईलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ ले जाया गया है।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, व 01 अदद पिड्डू बैग में लगभग 278 ग्राम स्मैक, व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया-

अभियुक्त प्रेम कुमार उर्फ हितेश पुत्र राजकुमार पर जनपद प्रतापगढ़ में डकैती, गैंगस्टर एक्ट व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जैसे 03 संगीन अभियोग पंजीकृत है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में दिनांक 01.10.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत करौंदी पुल के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में संबंधित 01 शातिर अभियुक्त, प्रेम कुमार उर्फ हितेश पुत्र राजकुमार निवासी देवकली, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ के दायें पैर में लगी गोली, घायल अभियुक्त को ईलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ ले जाया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 01 अदद पिड्डू बैग में लगभग 278 ग्राम स्मैक, व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया। जिसके संबंध में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घायल/ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. प्रेम कुमार उर्फ हितेश पुत्र राजकुमार निवासी देवकली, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेम कुमार उर्फ हितेश पुत्र राजकुमार निवासी देवकली, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 – 0862/2022 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़

02. मु0अ0सं0 – 0644/2023 धारा 395, 412 भादवि थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़

03. मु0अ0सं0 – 0251/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार यादव, मय हमराह व स्वाट टीम प्रभारी उ0नि0 अमित चौरसिया मय हमराह ।

प्रेस नोट दिनांक 01.10.2025

थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़

मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना प्रभारी रानीगंज मय हमराह व मिशन शक्ति टीम ने दंगा भड़काने के प्रयास में शामिल वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

जनपद का माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने वाले को दबोचने में मिशन शक्ति टीम की रही अहम भूमिका महिला पुलिसकर्मियों की सजगता और सक्रियता से कार्यवाही को मिली बड़ी सफलता पुलिस जांच में बाधा डालने और टीम पर पथराव करने वाला अभियुक्त कछरा पुल के पास से गिरफ्तार गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा परिजनों को भ्रमित करके जनपद का माहौल खराब करने और दंगा भड़काने के उद्देश्य से दिया गया था पत्थर बाजी की घटना को अन्जाम-

प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह मय हमराह का0 नारायण जी व का0 सौरभ यादव मय चालक हे0का0 मनोज कुमार व मिशन शक्ति टीम के उ0नि0 श्री महेश कुमार सिंह, का0 प्रदीप कुमार, म0का0 सीमा, म0का0 सारिका शर्मा द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, थाना रानीगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 82/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/352/351(3)/121(1)/131/132/125/3(5)/115(2) भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना रानीगंज से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त कमलेश सरोज पुत्र जगन्नाथ सरोज निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत कछरा के पुल के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

कमलेश सरोज पुत्र जगन्नाथ सरोज निवासी ग्राम कसेरुआ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना प्रभारी रानीगंज श्री प्रभात कुमार सिंह मय हमराह का0 नारायण जी व का सौरभ यादव मय चालक हे0का0 मनोज कुमार व मिशन शक्ति टीम के उ0नि0 श्री महेश कुमार सिंह, का0 प्रदीप कुमार 20 बैच, म0का0 सीमा, म0का0 सारिका शर्मा थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 01.10.2025

थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

मार-पीट, गाली-गलौज के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26.09.25 को अभियुक्त लवकुश प्रजापति उर्फ शिवा पुत्र मगरू प्रजापति निवासी ग्राम पूरे निहाल सिंह मजरे चाहिन थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष द्वारा वादिनी के पति को पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डण्डा आदि से मारना पीटना। जिससे वादिनी के पति को काफी चोंटे आना व मौके पर बेहोश हो जाना। मार पीट के दौरान गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी थी। वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 27.09.2025 को मु0अ0सं0 139/2025 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/110 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी उदयपुर श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 नन्दलाल यादव मय हमराह का0 सुरेन्द्र कुमार व का0 गिरजाशंकर द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, थाना उदयपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 139/2025 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/110 बीएनएस से संबंधित वाँछित 01 अभियुक्त लवकुश प्रजापति उर्फ शिवा पुत्र मगरू प्रजापति निवासी ग्राम पूरे निहाल सिंह मजरे चाहिन थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत हुल्ला का पुरवा से से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

लवकुश प्रजापति उर्फ शिवा पुत्र मगरू प्रजापति निवासी ग्राम पूरे निहाल सिंह मजरे चाहिन थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 नन्दलाल यादव मय हमराह का0 सुरेन्द्र कुमार व का0 गिरजाशंकर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि0-01.10.2025

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

वादिनी ही निकली अभियुक्ता, आत्महत्या दुष्प्रेरण प्रकरण में गिरफ्तार
आत्महत्या के लिए उकसाने वाली वादिनी गिरफ्तार

प्रतापगढ़।

दिनांक 23.06.2025 को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धुई में शैलेन्द्र तिवारी के घर पर उनके नौकर सूरज गौड़ द्वारा फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी। उक्त प्रकरण में वादिनी द्वारा थाना पट्टी पर तहरीर दी गई, जिसके आधार पर मु0अ0सं0 210/2025 धारा 115 (2)/108/351 (2) भारतीय दण्ड संहिता में अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी पट्टी श्री अभिषेक सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 विजय कुमार यादव मय हमराह का0 जितेन्द्र चौहान एवं म0का0 अंजू यादव द्वारा विवेचना व सतर्कता के दौरान वांछित अभियुक्त नन्दनी प्रजापति पत्नी सूरज गौड़ निवासी ग्राम अलाऊपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर, उम्र करीब 25 वर्ष, को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत उदैयाडीह मोड़ बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

नन्दनी प्रजापति पत्नी सूरज गौड़ निवासी ग्राम अलाऊपुर थाना जहांगीरगंज जनपद अम्बेडकर नगर उम्र करीब 25 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 विजय कुमार यादव मय हमराह का0 जितेन्द्र चौहान, म0का0 अंजू यादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दि0-01.10.2025

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

मिशन शक्ति अभियान के तहत मिशन शक्ति टीम थाना लीलापुर ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार वारण्टी की गिरफ्तारी में मिशन शक्ति टीम की रही अहम भूमिका

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर के उ0नि0 हरेन्द्र सिंह मय हमराह का0 कुन्दन शर्मा व हस्युलतलब मिशन शक्ति टीम के म0उ0नि0 ज्योति सिंह मय हमराह म0का0 रंजना भारद्वाज द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की चेकिंग के दौरान केश नं0 03/2018 मु0अ0सं0 307/2016 धारा बी(2) यपी गैंगेस्टर एक्ट थाना कर्वी जनपद चित्रकट से सम्बन्धित वारंटी सैजुद्धीन पुत्र मो0 रफीक निवासी ग्राम पुरे नाहर का पुरवा हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष को क्षेत्रान्तर्गत नाहर का पुरवा हण्डौर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सैजुद्धीन पुत्र मो0 रफीक निवासी ग्राम पुरे नाहर का पुरवा हण्डौर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ०नि० हरेन्द्र सिंह मय हमराह का० कुन्दन शर्मा व हस्युलतलब मिशन शक्ति टीम के म०उ०नि० ज्योति सिंह मय हमराह म०का० रंजना भारद्वाज थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक-01.10.2025

थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 18.06.2025 को ग्राम नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर प्रतापगढ़ में वादिनी के पति के साथ आरोपीगणों द्वारा जान से मारने की नियत से हमला कर घायल कर देने के प्रकरण में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना दिलीपपुर में मु०अ०सं० 123/25 धारा 191 (2)/191 (3)/190/109(1)/115(2)/352/351(3)/324 (4) बीएनएस० बनाम 06 नामजद व कुछ अज्ञात अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना दिलीपपुर पुलिस टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 123/25 धारा 191 (2)/191 (3)/190/109(1)/115(2) /352/351(3) /324 (4) बीएनएस० में वांछित 01 अभियुक्त मुन्ना सिंह पुत्र भगौती सिंह निवासीगण ग्राम नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष को थाना दिलीपपुर क्षेत्रांतर्गत अंधेरी बाग पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाठी को बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मुन्ना सिंह पुत्र भगौती सिंह निवासीगण ग्राम नौहर हुसैनपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष।

पुलिस टीम-

थाना दिलीपपुर पुलिस टीम जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक-01.10.2025

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कंधई पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, एसटी/एसटी एक्ट व 3/5(1) धर्म परिवर्तन अधि० के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कंधई श्री वीरेन्द्र सिंह यादव के पर्वेक्षण में थाना कंधई के उ०नि० भूपेशनाथ सिंह मय हमराह का० बृजभान चौहान, का० बृजेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2)/87/65(1)/61 (2) बीएनएस व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट व 3 (2) V एसटी/एसटी एक्ट व 3/5(1) धर्म परिवर्तन अधि० थाना कंधई, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गुलहसन पुत्र कमालुद्दीन नि० ग्राम सरसीखाम थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र 55 वर्ष को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत सरसीखाम जाने वाले पुलिया से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. गुलहसन पुत्र कमालुद्दीन नि० ग्राम सरसीखाम थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र 55 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० भूपेशनाथ सिंह मय हमराह का० बृजभान चौहान, का० बृजेश यादव थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।